Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00010

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 02/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री करणगर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग (नमूना विक्रेता एवं सांझीदार)
   मै0 जी.एस.मार्ट, 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी– 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री सरोज गर्ग पत्नी श्री भगवानदास (सांझेदार)
   मै0 जी.एस.मार्ट, 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी– 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री भगवानदास पुत्र श्री दुर्गादास (सांझेदार)
   मै0 जी.एस.मार्ट, 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी– 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमती रमनदीप कौर पत्नी श्री राजदीप सिंह (सांझेदार)
   मै0 जी.एस.मार्ट, 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी– 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26 धारा (2)(2)51/52

निर्णय **दिनांक : 18.02.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2018 को दोपहर पूर्व 2.00 बजे श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर वास्ते निरीक्षण फर्म **मै0** जी.एस.मार्ट, 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर पहुचे। वहां पर श्री करणगर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग उपस्थित मिला। निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर निरीक्षण किया तो उपरोक्त किराना स्टोर 10

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

प्लास्टिक की थैलियों **Haldi Powder** में प्रत्येक में 500 ग्राम आमजन को विक्रय हेतु रखा पाया गया । किसी भी थैली पर लेबल नहीं लगा था। **Haldi Powder** में मिलावट का शक होने पर 4 सील्ड थैलियां प्रत्येक में 500 ग्राम **Haldi Powder** नमूना जांच संख्या **के–895** के नमूनीकरण के लिये खरीदा। जिसकी कीमत 280/– रूपये (अखरे दौ सौ अस्सी मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री राजेश कुमार एवं श्री राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Haldi Powder** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो मै0 जी.एस.मार्ट, 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर के किराना स्टोर में **Haldi Powder** 10 प्लास्टिक की थैलियों में भरकर आम जन के विक्रय हेतु रखी हुई थी। जिसमें से चार सील्ड थैलियां प्रत्येक में 500 ग्राम **Haldi Powder** जांच के लिए खरीद की, **Haldi Powder** की कीमत 280/–रू (अखरे रूपये दौ सौ अस्सी मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री श्री राजेश कुमार एवं राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री करण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Haldi Powder** युक्त सील्ड थैलियों पर (नमूना भागो) पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड **के–859** एवं अन्य विवरण दर्ज किया। लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप **के–895** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया । मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम. एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/418/ एक्ट/2018/513 दिनांक 22.03.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–895** **Haldi Powder अमानक स्तर SUBSTANDARD MISBRANDED FOOD** खाद्य पदार्थ होना पाया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त करण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास **मै0** जी.एस.मार्ट, 58 तिलकनगर, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Haldi Powder** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26 धारा (2)(2) 51/52** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 08.02.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तों श्री श्री करणगर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग (नमूना विक्रेता एवं सांझीदार) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Haldi Powder** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD MISBRANDED FOOD** पाया गया है। अप्रार्थी की दुकान में सरसों के तेल की जांच की गई तो सरसों के तेल में **SUBSTANDARD MISBRANDED** पाया गया है। अप्रार्थी ने उक्त हल्दी पाउडर में सुधार कर लिया है। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेगा। अप्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Haldi Powder** का सैम्पल के–895 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/418/ एक्ट/2018/513 दिनांक 22.03.2018 द्वारा **SUBSTANDARD MISBRANDED FOOD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26 धारा (2)(2)/51/52** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Haldi Powder** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD MISBRANDED FOOD** पाया गया है। अप्रार्थी की दुकान में सरसों के तेल की जांच की गई तो सरसों के तेल में **SUBSTANDARD MISBRANDED** पाया गया है। अप्रार्थी ने उक्त हल्दी पाउडर में सुधार कर लिया है। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेगा। अप्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 एवं 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Haldi Powder** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(1) की श्रेणी में आता है। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्तों करण गर्ग पुत्र भगवान दास गर्ग (नमूना विक्रेता एवं सांझेदार) पर **SUBSTANDARD MISBRANDED FOOD Haldi Powder** विक्रय करने पर धारा 26 **(2)(2)/51/52** के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 20000/–रूपये (अखरे रूपये बीस मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

जाता है कि प्रकरण में जब्त **Haldi Powder** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Haldi Powder** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/19

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर